दिल्ली विकास प्राधिकरण
(प्रिंटिंग प्रैस)

संख्या : एफ. 5 (1) 2009/पी.पी. दिनांक :–

निविदा सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रिंटिंग प्रैस से निकलने वाली रद्दी/पेपर कटिंग के निपटान के लिये एक वर्ष के ठेके हेतु मुहरबंध निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निर्धारित निविदा फार्म एवं शर्तें मैनेजर (प्रिंटिंग प्रैस) दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रैस ब्लांक, विकास सदन, आई.एन.ए. कालोनी, नई दिल्ली से किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 3.00 बजे (अपराह्न) के दौरान 50/–रु. (पचास रुपये)
+ वैट के भुगतान पर दिनांक 17.1..2011 तक प्राप्त की जा सकती है ।

भरी हुई निविदाएं 18.1.2011 को 3.00 बजे (अपराह्न) तक निदेशक (नजारत) के कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर,, बी ब्लांक, विकास सदन, आई.एन.ए. कालोनी, नई दिल्ली के कमरे के बाहर रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है जो उसी दिन जो भी निविदादाता उपस्थित रहना चाहेंगे उनकी उपस्थिति में 3.30 बजे (अपराह्न) खोली जाएंगी ।

टैन्डर का विवरण नियम एवं शर्तो सहित दि.वि.प्रा. की वेबसाइट dda.org.in पर भी उपलब्ध है ।

निदेशक (नजारत) को किसी या किन्हीं प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

हस्/–
निदेशक (नजारत)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

क्र. सं....................

मूल्य रू 50/–

रद्दी कागज उठाने हेतु टैण्डर फार्म

1. टेंडर खोलने की निर्धारित तिथि ....

2. टेंडरदाता का नामः– ....

पता :– ....

....

टेलिफोन नं. :– ....

3. प्रतिभूति राशि......................बैंक ड्राफ्ट नं ....

दिनांक..

बैंक का नाम..

4. पिछले एक वर्ष के दौरान किये गए कार्य का विवरण

कार्यालय का नाम :..

i.

ii.

iii.

5. दर प्रति किंव्टल :..

(शब्दों में) ....में निविदा की शर्तो को स्वीकार करता हूं और दिनांक..से.................................तक ऊपरलिखित दर पर सभी प्रकार का मिला जुला (रद्दी) कागज व गत्ता उठाने के लिए अपनी दर दे रहा हूं ।

हस्ताक्षर

निविदादाता

दिल्ली विकास प्राधिकरण

संख्या :– एफ 5 (1) 2009 / पी.पी. /

<u>निबधन एवं शर्तें</u>

डी.डी.ए. प्रिटिंग प्रैस से एक वर्ष के लिए रद्दी (जिसमें रद्दी पेपर सभी प्रकार की कटिंग/कतरन रिम, कवर/वेटन) वन्डल पैकिंग टाट इत्यदि समलित होंगे उठाने/विक्रय की शर्तें निम्नलिखित है :–

1. दरें फर्म के लेटर हैड पर प्रति क्विंटल के अनुसार दी जाए । बिक्री वजन के अनुसार होगी ।

2. स्वीकृत की गई दरें एक वर्ष तक लागू होंगी । ठेकेदार ठेका दिए जाने की तारीख से प्रत्येक महीने में एक बार रद्दी उठाने के लिए बाध्य होगा । अन्यथा रद्दी को उनके जोखिम और लागत पर खुले बाजार में बेच दिया जाएगा उचित और उपरिहायों कठिनाईयों के मामले में दि.वि.प्रा. रद्दी उठाने के समय को बढाने की अनुमति दे सकता है ।

3. ठेकेदार ठेका दिये जाने के बाद से प्रत्येक सप्ताह के मध्य दिन रद्दी कागज को बोरों में पैक करने के लिए बाध्य होगा ।

4. रद्दी कागज वजन के अनुसार उठाया जाएगा जिसे प्रैस परिसर में तोलने की व्यवस्था है । बिना तोले किसी प्रकार के कागज को ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

5. रद्दी कागज हर महीने के अन्तिम हफ्ते में उठाना होगा । यदि ठेकेदार किन्हीं निजी कारणों से इस कागज को उठाने में असमर्थ रहता है तो वह प्रैस प्रबंन्धक से लिखित अनुमति लेकर अन्य किसी तय की गई तारीख को रद्दी कागज ले जा सकेगा लेकिन ऐसे परिवर्तन से अगले महीने उठाने की तारीख पर कोई प्रभार नहीं पडेगा और आगे भी रद्दी महीने के अन्तिम हफ्ते में ही उठानी होगी ।
6. निविदा/रेट प्रस्तुत करते समय निविदादाता को 5000/– रु. का ड्राफ्ट निदेशक (नजारत) डी.डी.ए. के नाम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा । एक लिफापे में निविदा/रेट और एक लिफापे में ड्राफ्ट अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा । जिस निविदा का ड्राफ्ट नहीं होगा उसका निविदा रेट नहीं खोला जाएगा ।
7. सफल दरदाता को दर की स्वीकृति सूचना दिए जाने पर और 5000/–रु. प्रतिभूति के रुप में जमा कराने होंगे । यह राशि ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के 90 दिन बाद लौटाई जा सकेगी । प्रतिभूति की कुल राशि 10000/–रु. होगी । बयाना राशि अथवा प्रतिभूति राशि जमा कराने के संबंध में किसी भी आधार पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी । इसके लिए चैक आदि स्वीकार नहीं किए जाएगें ।
8. असफल दरदाता की बयाना राशि लौटा दी जाएगी । जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
9. बयाना राशि निम्नलिखित स्थिति में जब्त कर ली जाएगी ।

   क) यदि वह, दर स्वीकार करने के पत्र में उसे बताई गई निर्धारित अवधि के अन्दर कागज को उठाने के करार का निष्पादन करने में असफल रहता है ।

   ख) यदि वह दर के प्रस्ताव पर अंतिम रूप दिए जाने से पहले/अथवा प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है या उसमें संशोधन करता है अथवा वह किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करता है ।
10. डी.डी.ए. उच्चतम या कोई अन्य दर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और डी.डी.ए. को किसी अथवा सभी प्रस्तावों को, कोई कारण बताए बिना अथवा ठेकेदार के प्रति किसी भी रूप में उत्तदायी हुए बिना रद्द करने तथा शर्त संख्या 2 के बाबजूद 3 महीने हेतु दर स्वीकार अधिकार भी सुरक्षित है ।

11. दर देने से पहले दरदाता प्रेस परिसर में पड़े रद्दी कागज का निरीक्षण कर सकते है । हर महीने लगभग ऐसा ही रद्दी कागज निकलेगा ।

12. दरदाता को अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शर्त रखने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

13. सफल दरदाता को 50/—रु. मूल्य के नॉन जुडिशियन स्टाम्प पेपर पर निर्धारित फार्म में अपनी लागत ठेके की इन शर्तों के अनुपालन हेतु एक करार निष्पादित करना होगा । यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि जब तक सफल दरदाता द्वारा उक्त उल्लिखित करार निष्पादित नहीं कर लिया जाता है तब तक कोई भी ठेका अस्तित्व में नहीं आएगा ।

14 .सफल दरदाता को यह अधिकार नही होगा कि वह ठेके को आगे अन्य किसी व्यकि को सौंप दे या किसी अन्य रूप मे उसे अंतिरित कर दें ।

15 ठेकेदार रद्दी कागज उठाने के लिए मजदूरों को इस हिसाब से प्रेस बिल्डिंग में लाएगा कि रद्दी कागज उठाने, तौलने और गाडी में भरने का सारा काम 2.30 बजे तक हो जाए ! 3.00 बजे के बाद कोई गेट पास सामान्यतः जारी नहीं किया जाएगा ।

16. यदि किसी कारण से ठेकेदार रद्दी कागज स्टोर से बाहर निकालकर/तुलवाकर/भुगतान करने के बाद नहीं ले जाते है या अपने किसी मजदूर आदि की कमी के कारण पूरा सामान नहीं तुलवा पाते है या पूरा भुगतान नहीं करते है या गेट पास जारी किए जाने के 3 घटें के भीतर सामान नहीं उठाते है तो ठेकेदार द्वारा 200/—रु. प्रतिदिन की रद से रद्दी कागज की चौकीदारी का खर्चा डी.डी.ए. को देना होगा । पूरे दिन से कम समय के लिए भी 200/—रु. का सुरक्षा प्रभार देना होगा तथापि, भुगतान करने पर सुरक्षा की जिम्मेवारी लेना प्राधिकरण के लिए बाध्यकर नहीं है, और प्राधिकरण चाहे तो सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने से मना कर सकता है । उस स्थिति में सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

17. यदि निर्धारित समय पर रद्दी कागज नहीं उठाया या बोरों में पैक नहीं किया जाता है तो, प्रतिदिन 20/—रु. की रद से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो ठेकेदार द्वारा करार उल्लंघन करने पर दि.वि.प्रा. द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाई के अधिकार से अलग होगा ।

18. यदि ठेकेदार समय पर प्रेस की रद्दी व पैकेजिंक रद्दी इत्यादि ठीक समय पर नहीं उठायेगा तो उसकी जमा की हुई प्रतिभूति राशि को नोटिस जारी करने के 15 दिन के पश्चात जब्त करने का अधिकार निदेशक (नजारत) को होगा ।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक (नजारत) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य कर होगा जो ठेकेदार एवं डी.डी.ए. दोनों को मानना पड़ेगा । इन निर्णय को आगे कहीं भी उठाया नहीं जा सकेगा ।

हस्/—
निदेशक (नजारत)

हस्ताक्षर
निविदादाता